न्यायालय द्वितीय अपीलीय अधिकारी एवं संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः राजेन्द्र भट्ट, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 04/2023 (GCMS/2023/34)
पंजीयन दिनांक - 06.04.2023
आदेश दिनांक - 24.04.2023

श्री कैलाशचन्द्र पिता राधाकिशन रामावत, निवासी मेनार, वाया खेरोदा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर।	बनाम	प्रथम अपीलीय अधिकारी, जिला कलक्टर, उदयपुर

द्वितीय अपील अंतर्गत राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 विरूद्ध जिला कलक्टर, उदयपुर प्रकरण संख्या (सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012)/02/23 निर्णय दिनांक 13.03.2023

निर्णय

दिनांक 24.04.2023

- श्री कैलाशचन्द्र पिता राधाकिशन रामावत, निवासी मेनार वाया खेरोदा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर द्वारा राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 के अंतर्गत अपील दिनांक 04.04.2023 को जरिये रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की जो इस न्यायालय को 06.04.2023 को प्राप्त होकर दिनांक 06.04.2023 को दर्ज की गई। अपीलार्थी अनुसार प्रथम अपील अधिकारी द्वारा प्रार्थी की अपील में तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए एक तरफा कार्यवाही करने के कथनों से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

- संभागीय आयुक्त कार्यालय, उदयपुर के पत्रांक 992 दिनांक 12.04.2023 से श्री कैलाशचन्द्र पिता राधाकिशन रामावत द्वारा प्रस्तुत अपील की प्रति प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला कलक्टर, उदयपुर) को भिजवाते हुए अपील पर जवाब मय अभिलेख चाहा गया।

- प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, उदयपुर ने अपील का जवाब दिनांक 17.04.2023 को प्रेषित कर अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील में कानूनी कार्यवाही के संबंध में अनुरोध किया गया है, जो पुलिस विभाग से संबंधित है। अपीलार्थी को जिला कार्यालय के आदेश दिनांक

13.03.2023 द्वारा कानूनी कार्यवाही के संबंध में संबंधित विभाग में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दाद हासिल करने हेतु निर्देशित किया गया है।

- प्रथम अपील अधिकारी से प्राप्त जवाब की प्रति अपीलार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक 04 दिनांक 17.04.2023 से भिजवाते हुए अपना पक्ष/प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने एवं व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। साथ ही अपना प्रत्युत्तर जरिये ई-मेल से भी प्रेषित करने हेतु लिखा गया।

- प्रश्नगत अपील में प्रथम अपील अधिकारी के उत्तर पर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 22.04.2023 को जरिये ई-मेल से अपना प्रत्युत्तर प्रेषित कर अवगत कराया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा झूठा जवाब पेश किया है, न तो इस अपील पर सुनवाई के अधिकारों के तहत कोई निर्णय पारित किया न मुझे पत्र प्राप्त हुआ। इतने समय बाद भी कोई कार्यवाही नहीं होने से उक्त अपील प्रस्तुत की है किसी भी अपील का निस्तारण करने पर सक्षम अधिकारी परिवाद को तहसीलदार से तामिल करवाकर निर्णय पारित करता है, इस प्रकार प्रथम अपील अधिकारी द्वारा कोई उचित कार्यवाही नही की। अतः श्रीमान से निवेदन है कि समस्त दस्तावेजो का अवलोकन कराते हुए अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालयों को उचित आदेश प्रदान करावें।

- अपील पर प्रथम अपील अधिकारी के जवाब, प्रस्तुत प्रत्युत्तर एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन एवं मनन किया। अपीलार्थी प्रथम अपील अधिकारी का निर्णय अपास्त कर उचित कार्यवाही कराना चाहता है।

- अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड से स्पष्ट है कि प्रकरण में अनरजिस्टर्ड स्टाम्प पर दिनांक 28.01.2021 को ग्राम मेनार, तहसील वल्लभनगर के अराजी संख्या 2994 व 2999 में श्री ऊंकरालाल पिता स्व. श्री मगनीराम रामावत व श्री राधाकिशन पिता स्व. श्री मगनीराम रामावत के मध्य आपसी बंटवारा सहमति पर ऊंकारलाल के पुत्रों द्वारा अपीलार्थी के पिता श्री राधाकिशन के मध्य की गई लिखापढ़ी की पालना नहीं करना बताया है। इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा परिवाद महानिरीक्षक पुलिस, उदयपुर रेंज कार्यालय उदयपुर को पेश किया गया जिसकी जांच पुलिस उप अधीक्षक, वल्लभनगर द्वारा की गई। पुलिस उप अधीक्षक, वल्लभनगर की जांच अनुसार परिवादी एवं अपरिवादी के बीच हुई आपसी लिखापढ़ी की पालना नहीं करना एवं सिविल प्रकृति का मामला है, जिसके लिए परिवादी ने अपरिवादी को रजिस्टर्ड नोटिस भी जारी किया है। अपीलार्थी को सिविल वाद पेश करने की हिदायत दी गई है। इसके पश्चात अपीलार्थी द्वारा पुलिस उप अधीक्षक की रिपोर्ट के विरूद्ध लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर में परिवाद पेश किया गया।

लोकायुक्त सचिवालय द्वारा परिवादी को सिविल वाद पेश करने की हिदायत को उचित माना जाकर प्रकरण बंद किया गया।

- अपीलार्थी द्वारा लोक सुनवाई अधिकारी के समक्ष वर्तमान मौका निरीक्षण तहसीलदार से करवाया जाकर जांच रिपोर्ट मंगवाकर न्याय प्रदान कर दोषियों के विरूद्ध उनके कृत्य की सख्त सजा फरमाकर पुलिस थाना खेरोदा में एफआईआर दर्ज करवाकर सिविल न्यायालय में चालान प्रस्तुत करने हेतु एक शिकायती परिवाद प्रस्तुत किया गया। परिवाद परिवार की आपस में लिखित में की गई आपसी सहमति लिखापढ़ी की पालन नहीं किये जाने से संबंधित होने से लोक सूचना अधिकारी द्वारा सक्षम सिविल न्यायालय में वाद दायर किया जाकर इमदाद प्राप्त करने की हिदायत के साथ निस्तारण किया गया।

- प्रस्तुत अपील में यह न्यायालय पाता है कि प्रकरण परिवाद परिवार की आपस में लिखित में की गई आपसी सहमति लिखापढ़ी की पालन नहीं किये जाने से संबंधित होने से सक्षम सिविल न्यायालय में वाद दायर किया जाकर इमदाद प्राप्त किया जाना उचित है। अतः यह प्रकट होता है कि लोक सुनवाई अधिकारी एवं प्रथम अपील अधिकारी, जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा अपीलार्थी के परिवाद पर उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया और नियमानुसार कार्यवाही संपादित की गई, अतः लोक सुनवाई अधिकारी एवं प्रथम अपील अधिकारी अपीलार्थी के अनुरोध पर विनिश्चय करने में सफल रहे है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी परिवादी को उक्त विधिक प्रक्रिया से ससमय अवगत कराया गया और विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया, जिसमें कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

- उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से अस्वीकार एवं खारिज की जाती है। अपीलार्थी अपने आवेदन/परिवाद के संबंध में सक्षम अधिकारियों के समक्ष पुनः आवेदन करने हेतु स्वतंत्र है। अतः उक्त अपील का निस्तारण करते हुए फैसल शुमार किया जावें एवं नम्बर से कम किया जावें।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर